न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : असलम मेहर आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 116/2018

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– कुलदीप पुत्र करणाराम 2– सरोज पत्नी कुलदीप दोनो जातियान जाट निवासीगण केशव नगर, रिडमलसर, तहसील फलोदी जिला जोधपुर		सरकार जरिये तहसीलदार फलोदी, जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश कमांक/राजस्व/2017/ 1011 दिनांक 24–7–2017 जो उपखण्ड अधिकारी फलोदीं द्वारा पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री किशनाराम विश्नोई अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से ।
2– राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 10–10–2019

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार फलोदी ने ग्राम केशवनगर से संबंधित रास्तो की समस्याओं के निराकरण के प्रस्ताव जिनमे ग्राम केशवनगर के खसरा नंबरान 761, 761/1, 762, 762/1, 762/2, 762/3, 763, 764, 766 मे मौके पर कदीमी रास्ता चल रहा है, उक्त रास्ता सार्वजनिक उपयोग मे आ रहा है, परंतु उनका राजस्व अभिलेख मे इन्द्राज नही है, जिनका राजस्व अभिलेख मे इन्द्राज करवाने हेतु प्रस्ताव अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय ने उनके आदेश कमांक राजस्व/2017/ 1011 दिनांक 24–7–2017 के जरिये राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131, 132 व 136 के अधीन तहसीलदार फलोदी के प्रस्ताव मे उल्लेख अनुसार खसरा नबंरान की भूमि की किस्म बारानी तृतीय एवं बारानी चतुर्थ से गै.मु.रास्ता के रूप मे परिवर्तन करने तथा नक्शा (लट्ठा) ट्रेस मे उसके अनुसार दुरस्ती कर राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद करने के आदेश पारित कर दिये । जिससे व्यथित होकर अपीलांटगण ने यह अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है ।

उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी । अपीलांट अधिवक्ता ने अपनी बहस के दौरान अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रास्ता कायम करने, कटान करने अथवा रास्ता घोषित करवाने के संबंध मे किसी भी खातेदार का कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत नही हुआ था और न ही मौके पर कोई रास्ता चल रहा है फिर भी पटवारी एवं तहसीलदार ने अपनी मनमर्जी से उपरोक्त खसरा नंबरान की भूमि मे से रास्ता घोषित करने का प्रस्ताव बनाकर अधीनस्थ न्यायालय मे प्रेषित कर दिया तथा अधीनस्थ न्यायालय ने केवल

तहसीलदार फलोदी से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार अपीलांट एवं अन्य खातेदारो की खातेदारी की भूमि मे से गै0मु0रास्ता घोषित करने बाबत अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलाधीन भूमि के खातेदारान को कोई नोटिस या सूचना नही दी गई तथा उनको सुने बिना ही अपीलांटगण के खातेदारी की भूमि का रकबा कम कर दिया इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये आदेश दिनांक 24–7–17 की ओर ध्यान दिलाते हुए कथन किया कि उक्त आदेश मे राज्य सरकार के किसी परिपत्र अथवा किसी सक्षम अधिकारी के आदेश का उल्लेख नही किया हुआ है इसलिए यह नही कहा जा सकता कि उक्त अपीलाधीन आदेश रास्ते संबंधी समस्याओ के निवारण अभियान के दौरान ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया हो, इसलिए अपीलाधीन निर्णय क्षेत्राधिकार विहीन होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र के जरिये केवल लिपिकीय त्रुटि को ही दुरस्त किया जाने का प्रावधान है, वर्तमान मामले मे राजस्व रेकर्ड मे ऐसी कोई लिपिकीय त्रुटि नही होने पर भी जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि किसी खातेदार को रास्ता दिया जाना या कायम करवाया जाना है तो उसके लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 एवं 251ए के तहत विधिवत कार्यवाही करने के लिए कानून मे अलग व्यवस्था दे रखी है परंतु उक्त प्रावधान की पालना किये बिना अधीनस्थ न्यायालय ने केवल शॉर्ट कट रास्ता अपनाते हुए जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अपीलाधीन आदेश अपीलांटगण को बिना नोटिस दिये एवं बिना सुनवाई के ही पारित कर दिया गया था इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की जानकारी होते ही उक्त अपील इस न्यायालय मे अपील प्रस्तुत कर दी थी तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलंब को क्षमा करने हेतु अपील के साथ धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया था अतः अपीलांट की उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24–7–2017 को निरस्त कर प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय को अपीलांटगण एवं अन्य हितबद्ध खातेदारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर, मौका निरीक्षण कर नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि राज्य सरकार द्वारा रास्तो की समस्याओ के समाधान के लिए चलाये गये अभियान के दौरान तहसीलदार फलोदी ने राज्य सरकार के परिपत्रो के अनुसरण मे अपीलाधीन आदेश मे वर्णित खसरा नंबरान मे

से चल रहे रास्तो का उपयोग ग्रामवासियो द्वारा अपने खेतो मे आने जाने के हेतु लिया जा रहा था परंतु उक्त भूमि का इन्द्राज राजस्व रेकर्ड मे नही होने से जनहित मे उक्त भूमि का राजस्व रेकर्ड मे गै.मु.रास्ता दर्ज करने हेतु विधिवत प्रस्ताव उपखण्ड अधिकारी फलोदी को प्रेषित करने पर जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है,वह विधिसम्मत होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध पत्रादि एवं तहसीलदार फलोदी द्वारा उपखण्ड अधिकारी फलोदी को प्रेषित रास्तो की समस्याओं के निराकरण प्रस्ताव तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश कमांक राजस्व/2017/1011 दिनांक 24–7–17 आदि का अवलोकन किया ।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं तहसीलदार फलोदी द्वारा उपखण्ड अधिकारी फलोदी को प्रेषित प्रस्ताव जिनमे निजी खातेदारो की भूमि मे से मौके पर स्थाई रास्ते चालू है परंतु उनका राजस्व अभिलेख मे इन्द्राज नही होने का उल्लेख होने पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व प्रस्तावित रास्ते की भूमि के किसी खातेदार को, उसके खातेदारी मे से चल रहे रास्ते की भूमि का इन्द्राज गै.मु.रास्ता दर्ज करने के संबंध मे सूचना या नोटिस दिया जाना प्रकट नही होता है, इससे यह प्रकट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–7–17 बिना खातेदारो को सुनवाई का अवसर दिये पारित किया गया है, जो नेचुरल जस्टिस के विरूद्ध होने से समर्थन योग्य नही माना जा सकता है।

इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन आदेश दिनांक 24–7–2017 के अवलोकन से यह प्रकट है कि उक्त आदेश मे राज्य सरकार के किसी परिपत्र एवं जिला कलेक्टर जोधपुर के किसी आदेश का उल्लेख नही किया हुआ है जिसके अभाव मे यह नही माना जा सकता है कि उक्त आदेश राज्य सरकार द्वारा चलाये गये रास्तो की समस्याओं के निराकरण अभियान के दौरान ही राज्य सरकार के निर्देशो के अनुसरण मे ही पारित किया गया हो क्योंकि खातेदारी की भूमि की किस्म परिवर्तन करने का अधिकार केवल राज्य सरकार को ही है. परंतु राज्य सरकार द्वारा विशेष अभियान के दौरान अभियान अवधि तक ऐसी शक्तियां संबंधित उपखण्ड अधिकारियो को प्रदत्त की जाती है इसलिए अपीलाधीन आदेश मे राज्य सरकार के परिपत्र, आदेश तथा दिनांक का उल्लेख अपीलाधीन आदेश मे किया जाना नितान्त आवश्यक था, जो नही किया हुआ होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत नही माना जा सकता है ।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश कमांक राजस्व/2017/1011 दिनांक 24–7–17 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वर्तमान अपील के अपीलांटगण एवं अपीलाधीन आदेश मे वर्णित खसरा नंबरान के खातेदारान एवं अन्य हितबद्ध खातेदारान

को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करें तथा मौके की स्थिति की जानकारी रेकर्ड पर ली जाकर पुनः नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करें ।

निर्णय आज दिनांक 10–10–2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(अरुण मेहर)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर